हरियाणा विधान सभा [प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 25 एच.एल.ए.

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

1979 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"3. सुविधाएं.- (1) ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को,-

(i) निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम; या

(ii) मोटर कार खरीदने हेतु; या

(iii) खण्ड (i) और (ii) दोनों,

के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में एक करोड़ रूपए से अनधिक की राशि का भुगतान किया जा सकता है:

परन्तु यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए की राशि से कम का मोटर कार अग्रिम आहरित किया है, तो वह शेष राशि के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूलधन राशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम राशि, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, ऐसे गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित मोटर कार अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, केवल शेष राशि के पचास प्रतिशत की सीमा तक तीसरी बार के लिए गृह निर्माण अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य ने पहले ही एक करोड़ रूपए से कम का गृह निर्माण अग्रिम आहरित किया गया है, तो वह शेष राशि के लिए मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य, केवल पहले से ही आहरित ऐसे मोटर कार अग्रिम पर ब्याज के साथ मूल धनराशि का प्रतिसंदाय करने के बाद और उसके द्वारा पहले से ही आहरित गृह निर्माण अग्रिम, यदि कोई हो, को भी एक करोड़ रूपए में से घटाने के बाद, दूसरी बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि सदस्य, हरियाणा विधान सभा के कार्यकाल, जो पाँच वर्ष या कम की अवधि का हो सकता है, में दो बार मोटर कार अग्रिम आहरण करने के लिए पात्र होगा।

(2) कोई सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक आहरण करने का भी हकदार होगाः

परन्तु दस लाख रूपए की राशि एक करोड़ रूपए के अतिरिक्त होगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अधीन, हरियाणा विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, एक करोड़ रुपये से अधिक न होने वाले प्रतिदेय अग्रिम का हकदार है, जोकि गृह निर्माण अग्रिम के रूप में निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम, अथवा मोटर कार की खरीद के लिए, अथवा दोनों उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है। इस धारा में दूसरी बार अग्रिम लेने के लिए साठ वर्ष से कम आयु की शर्त तथा तीसरी बार गृह निर्माण अग्रिम लेने के लिए भी साठ वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान है।

हाल के दिनों में, विभिन्न सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से माननीय अध्यक्ष से संपर्क किया और कहा है कि:-

(i) दूसरी बार अग्रिम (अर्थात् गृह निर्माण अथवा मोटर कार के लिए) तथा तीसरी बार गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने हेतु साठ वर्ष से कम आयु का वर्तमान प्रावधान सदस्यों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है;

(ii) एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, सदस्यो के गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए, दस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया जाए;

(iii) हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत:

(क) कोई सदस्य, उपधारा (i), (ii) या (iii) के अंतर्गत पहली बार अग्रिम प्राप्त करने के उपरांत, यदि उसकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो वह पिछली अग्रिम राशि के मूलधन तथा ब्याज की वसूली पूर्ण होने के तुरंत बाद, दूसरी बार अग्रिम राशि प्राप्त करने का हकदार है;

(ख) कोई सदस्य, अपने गृह निर्माण अग्रिम की बकाया मूलधन राशि में से दस लाख रुपये की राशि की अदायगी पहले ही कर चुका है, तो वह अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक आहरण करने का भी हकदार है;

और यह सुझाव दिया है कि:

(कक) दूसरी अथवा तीसरी बार अग्रिम लेने हेतु साठ वर्ष की आयु से संबंधित प्रावधान को समाप्त किया जाए।

(कख) एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त, दस लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए, जिससे सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करा सके।

उपरोक्त सुझाव पर विचार करते हुए, विधेयक का उद्देश्य हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 को प्रतिस्थापित करना है।

महीपाल ढांडा,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

.....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 3 में हरियाणा विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम एक करोड़ रुपये तक गृह निर्माण एवं मोटर कार अग्रिम ऋण की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अनुमान है कि लगभग 9,00,00,000 रूपये का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित होगा, यदि धारा 3 में संशोधन कर, सदस्यों को अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए एक करोड़ रूपये के अतिरिक्त अधिकतम दस लाख रूपए तक की अग्रिम राशि का प्रावधान किया जाता है।

अनुबन्ध

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 से उद्धरण

[3.सुविधाएं.- (1) ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, प्रत्येक सदस्य को,-

(i) निर्मित गृह या फ्लैट खरीदने के लिए या गृह निर्माण के लिए या सहकारी ग्रुप आवासीय सोसाइटी, जिसका वह सदस्य है, द्वारा निर्मित किए जाने वाले फ्लैट के लिए गृह निर्माण अग्रिम के रूप में; या

(ii) मोटर कार खरीदने या उसकी पूर्वानुमानित कीमत हेतु; या

(iii) खण्ड (i) और (ii) दोनों के लिए,

प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में एक करोड़ रूपए से अनधिक राशि का भुगतान किया जा सकता है:

परन्तु साठ वर्ष की आयु से कम का ऐसा सदस्य, जिसने प्रथम बार खण्ड (i), (ii) या (iii) के अधीन प्रतिसंदेय अग्रिम लिया था, पूर्व अग्रिम के मूलधन और उस पर ब्याज, जैसी भी स्थिति हो, की सम्पूर्ण वसूली होने के तुरन्त बाद दूसरी बार प्रतिसंदेय अग्रिम लेने का हकदार हो सकता है:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती गृह निर्माण अग्रिम और उस पर ब्याज के प्रतिदाय पर, साठ वर्ष की आयु से कम का ऐसा सदस्य, समरूप निबन्धनों तथा शर्तों पर प्रथम बार के लिए उस द्वारा पहले से लिए गए गृह निर्माण अग्रिम के मूलधन के पचास प्रतिशत के बराबर तीसरी बार प्रतिसंदेय गृह निर्माण अग्रिम लेने का हकदार हो सकता है।

(2) कोई सदस्य अपने गृह की बड़ी मरम्मत, परिवर्धन या बदलाव करवाने के लिए अधिकतम दस लाख रूपए तक लेने का भी हकदार होगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य गृह निर्माण अग्रिम ले चुका है, तो वह दस लाख रूपए की उक्त राशि लेने का भी हकदार होगा, यदि गृह निर्माण अग्रिम के बकाया मूलधन के सापेक्ष दस लाख रूपए के बराबर की राशि का प्रतिसंदाय पहले से ही किया जा चुका हो।]